


भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD



सं. 2023/टीजी-I/11/02

नई दिल्ली, दिनांक 31.03.2023

प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

(2023 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 7)


विषय: आरक्षित द्वितीय सिटिंग (2एस)/वातानुकूलित कुर्सीयान (सीसी) में दिव्यांगों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षित कोटे का निर्धारण।

संदर्भ: (i) दिनांक 14.07.2017 का 2017 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 53
(ii) दिनांक 26.09.2022 का 2022 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 19

दिव्यांगजनों और उनके परिचारकों के लिए विभिन्न श्रेणियों में आरक्षित कोटे के निर्धारण के संबंध में जारी सभी अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए, यह विनिश्चय किया गया है कि उनके लिए उन मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में, जिनमें दिव्यांगजनों को रियायत पर आरक्षित टिकटें बुक कराने की अनुमति दी गई है, निम्नानुसार आरक्षण कोटा निर्धारित किया जाए: -

- (i) शयनयान श्रेणी में 4 बर्थ (दो नीचे और दो बीच की)।
- (ii) तृतीय वातानुकूलित श्रेणी में दो बर्थ (एक नीचे और एक बीच की)।
- (iii) 3ई श्रेणी में दो बर्थ (एक नीचे और एक बीच की) (उन गाड़ियों में जिनमें 3ए श्रेणी नहीं होती और केवल 3ई के कोच लगे होते हैं)।
- (iv) गरीब रथ एक्सप्रेस गाड़ियों के एसएलआरडी कोच में पूरे किराये पर चार बर्थ (दो नीचे और दो ऊपर की)।
- (v) उन गाड़ियों में जिनमें आरक्षित द्वितीय सिटिंग (2एस)/वातानुकूलित कुर्सीयान श्रेणियों के 2 से अधिक कोच होते हैं, में दो सीटें।

2. तदनुसार, सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं। इस प्रावधान का व्यापक प्रचार आम जनता की जानकारी के लिए उपलब्ध सभी साधनों के माध्यम से किया जाना चाहिए।


(संजय मनोचा)

निदेशक यात्री विपणन-II
रेलवे बोर्ड

टेली. नं.: 011-23047367

ईमेल आईडी: manocha.421sanjay@gov.in

चौथा तल, कमरा नं.: 415-A

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. सीसीएम/पीएम और सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2. एडीजी/पीआर, कार्यपालक निदेशक सतर्कता (टी), कार्यपालक निदेशक वित्त (वाणिज्य), निदेशक वित्त (वाणिज्य), प्रधान निजी सचिव/वित्त आयुक्त, वि.का.अधि./टीसी, वित्त (वाणिज्य) एवं सतर्कता (विशेष दस्ता)-शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
3. प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, बी 148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110001.
4. महाप्रबंधक/पीआरएस-I, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण एवं प्रोफेसर/वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, बडोदरा।
6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भुली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मीना अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
7. निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-2260011:
8. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
9. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4 स्टेट एंड्री रोड, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन (फ्रोआ), कमरा नं. 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवेज़ प्रोमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन (आईआरपीओएफ), कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे.एल. नेहरू रोड, कोलकाता-71.

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

No. 2023/TG-I/11/02

New Delhi, dated 31.03.2023

Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(Commercial Circular No. 7 of 2023)

Sub: Earmarking of reservation quota for persons with disabilities (PwD) in reserved Second Sitting (2S)/ air-conditioned Chair Car (CC).

**Ref: (i) CC no. 53 of 2017 dated 14.07.2017
(ii) CC no. 19 of 2022 dated 26.09.2022**

In supersession of all the instructions issued regarding earmarking of reservation quota in different classes for Persons with Disabilities (PwDs/Divyangjans) and their attendant, it has been decided to earmark the following reservation quota for them in those Mail/Express trains in which PwDs have been allowed to book reserved tickets on concession: -

- (i) Four berths in Sleeper class (two lower and two middle).
- (ii) Two berths in 3AC (one lower and one middle).
- (iii) Two berths in 3E class (one lower and one middle) (in those trains in which there is no 3A class and only 3E class coaches have been attached).
- (iv) Four berths in SLRD coach of Garib Rath Express trains on full fare. (two lower and two upper)
- (v) Two seats in reserved Second Sitting (2S)/ air-conditioned Chair Car (CC) in those trains which have more than two coaches of these classes.

2. Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly. Wide publicity about this provision should be given through all available means for information of general public.

31/3/2023
(Sanjay Manocha)

Director Passenger Marketing-II
Railway Board

Ph. No.:011-23047367

Email id: manocha.421sanjay@gov.in
4th Floor, Room No: 415-A

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. ADG/PR, EDV(T),EDFC,DF(C),PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC,B 148,11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi. --
5. DG, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central Railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.
